रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4519] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 15, 2018/कार्तिक 24, 1940
No. 4519] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 15, 2018/KARTIKA 24, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2018

का.आ.5736(अ).--भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 का और संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए का.आ. 1132(अ), तारीख 13 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, भारत के राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर, उन व्यक्तियों के जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए है ;

और केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप अधिसूचना के संबंध में प्राप्त सभी आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक् रूप से विचार कर लिया गया है ;

अत:, अब केंद्रीय सरकार, पठित पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

(i) उक्त अधिसूचना में, पैरा 14 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"14 स्थानीय निकाय यथा-नगरपालिका, विकास प्राधिकरण और जिला पंचायत भवन की अनुमति देते समय पर्यावरण परिस्थितियों को निर्धारित करेंगे, अधिसूचना का.आ. 5733(अ) तारीख 14 नवम्बर, 2018 में विनिर्दिष्ट भवन या निर्माण परियोजना के लिए निर्मित क्षेत्र $\geq$ 20,000 वर्ग मीटर और < 50,000 वर्ग मीटर होगा तथा औद्योगिक शेड, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए निर्मित क्षेत्र $\geq$ 20,000 वर्गमीटर से < 1,50,000 वर्ग मीटर होगा ।"

(ii) अनुसूची में, मद 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"8	भवन निर्माण और संनिर्माण परियोजनाओं या क्षेत्र विकास परियोजनाओं और नगरी के साथ औद्योगिक शेड, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए छात्रावास			
8(क)	भवन निर्माण और संनिर्माण परियोजना		निर्मित क्षेत्र ≥ 50,000 वर्गमीटर से < 1,50,000 वर्गमीटर	**टिप्पण 1 :** इस अधिसूचना में प्रयोजन के लिए "निर्मित क्षेत्र" पद, सभी तलों को एक साथ मिलाकर निर्मित या आच्छादित क्षेत्र, जिसके अंतर्गत उसका बेसमेंट भी है, जो भवन निर्माण तथा संनिर्माण परियोजनाओं में प्रस्तावित है। **टिप्पण 2 :** परियोजनाओं या क्रियाकलापों के अंतर्गत औद्योगिक शेड, औद्योगिक संस्थान, अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों के लिए छात्रावास नहीं आएंगे। **टिप्पण 3:** साधारण शर्तें लागू नहीं होगी।
8(ख)	नगरी और क्षेत्र विकास परियोजनाओं के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थाओं के लिए औद्योगिक शेड, शैक्षणिक संस्थाएं, अस्पताल तथा शैक्षणिक संस्थानों के लिए छात्रावास		निर्मित क्षेत्र का ≤ 1,50,000 वर्गमीटर क्षेत्र और या आच्छादित क्षेत्र का ≥ 50 हेक्टेयर	इस मद के अधीन आच्छादित बोर्ड नगरी परियोजना और क्षेत्रीय विकास परियोजना के लिए पर्यावरण निर्धारण स्थिति और 'बी' परियोजना श्रेणी के रूप में आंकन। टिप्पण : साधारण शर्तें लागू नहीं होगी।

[फा. सं. 3-49/2017-आईए.III-पीटी]

जिगमेट टकपा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (ii) में का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित संख्याओं के द्वारा संशोधित किए गए :--

1. का.आ. 1949(अ), तारीख 13 नवम्बर, 2006;
2. का.आ. 1737(अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007;
3. का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसम्बर, 2009 ;
4. का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 ;
5. का.आ. 156(अ), तारीख 25 जनवरी, 2012 ;
6. का.आ. 2896(अ), तारीख 13 दिसम्बर, 2012 ;
7. का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013 ;
8. का.आ. 2204(अ), तारीख 19 जुलाई, 2013 ;
9. का.आ. 2555(अ), तारीख 21 अगस्त, 2013 ;
10. का.आ. 2559(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013 ;
11. का.आ. 2731(अ), तारीख 9 सितम्बर, 2013 ;
12. का.आ. 562(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014 ;
13. का.आ. 637(अ), तारीख 28 फरवरी, 2014 ;
14. का.आ. 1599(अ), तारीख 25 जून, 2014;
15. का.आ. 2601(अ), तारीख 7 अक्तूबर, 2014 ;
16. का.आ. 2600(अ), तारीख 9 अक्तूबर, 2014 ;
17. का.आ. 3252(अ), तारीख 22 दिसम्बर, 2014 ;
18. का.आ. 382(अ), तारीख 3 फरवरी, 2015 ;
19. का.आ. 811(अ), तारीख 23 मार्च, 2015 ;
20. का.आ. 996(अ), तारीख 10 अप्रैल, 2015 ;
21. का.आ. 1142(अ), तारीख 17 अप्रैल, 2015 ;
22. का.आ. 1141(अ), तारीख 29 अप्रैल, 2015 ;
23. का.आ. 1834(अ), तारीख 6 जुलाई, 2015 ;
24. का.आ. 2571(अ), तारीख 31 अगस्त, 2015,

25. का.आ. 2572(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2015,

26. का.आ. 141(अ) 15 जनवरी, 2016,

27. का.आ. 648(अ) तारीख 3 मार्च, 2016 ;

28. का.आ. 2269(अ) तारीख 1 जुलाई, 2016 ;

29. का.आ. 2944(अ) तारीख 14 सितम्बर, 2016 ;

30. का.आ. 3518(अ), तारीख 23 नवम्बर, 2016 ;

31. का.आ. 3999(अ), तारीख 9 दिसम्बर, 2016 ;

32. का.आ. 4241(अ) तारीख 30 दिसम्बर, 2016 ; और

33. का.आ. 3611(अ) तारीख 25 जुलाई, 2018 ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 2018

S.O. 5736(E).—Whereas, a draft notification further to amend the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E) dated the 14th September 2006 was published in exercise of the powers conferred under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of the sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 *vide* S.O. 1132(E) dated the 13th March, 2018, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected there by, within a period of 60 days from the date of publication of the said notification in the Gazette of India;

And whereas, all objections and suggestions received in response to the said draft notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the said notification, namely: -

(i) in the said notification, for paragraph 14, the following shall be substituted, namely:-

"14 Local bodies such as Municipalities, Development Authorities and District Panchayats, shall stipulate environmental conditions while granting building permission, for the Building or Construction projects with built-up area≥20,000 sq. mtrs and<50,000 sq. mtrsandindustrial sheds, educational institutions, hospitals and hostels for educational institutions from built-up area ≥ 20,000 sqm to <1,50,000 sq.m as specified in Notification S.O. 5733(E) dated 14th November, 2018".

(ii) in the Schedule, for item 8 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"8	Building or Construction projects or Area Development projects and Townships as well as for industrial sheds, educational institutions, hospitals and hostels for educational institutions			
8 (a)	Building or Construction projects		≥50,000 sq. mtrs. and <1,50,000 sq. mtrs.of built-up area	**Note-1:** The term "built-up area" for the purpose of this notification is the built-up or covered area on all the floors put together including its basement and other service areas, which are proposed in the buildings or construction projects.**Note 2:** The projects or activities shall not include industrial sheds, educational institutions, hospitals and hostels for educational institutions. **Note 3:** General Conditions shall not apply.
8 (b)	Townships and Area Development projects as well as industrial sheds,		≥1,50,000 sq. mtrs. of built-up area and or covering an area ≥ 50 ha.	A project of Township and Area Development Projects covered under this item shall require an Environment Assessment Report and be appraised as Category 'B_1' Project. **Note: -** General Conditions shall not apply.

	educational institutions, hospitals and hostels for educational institutions			

[F. No. 3-49/2017-IA.III-Pt.]

JIGMET TAKPA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended *vide* the following numbers:-

1. S.O. 1949 (E) dated the 13th November, 2006
2. S.O. 1737 (E) dated the 11th October, 2007;
3. S.O. 3067 (E) dated the 1st December, 2009;
4. S.O. 695 (E) dated the 4th April, 2011;
5. S.O. 156 (E) dated the 25th January, 2012;
6. S.O. 2896 (E) dated the 13th December, 2012;
7. S.O. 674 (E) dated the 13th March, 2013;
8. S.O. 2204 (E) dated the 19th July 2013;
9. S.O. 2555 (E) dated the 21st August, 2013;
10. S.O. 2559 (E) dated the 22nd August, 2013;
11. S.O. 2731 (E) dated the 9th September, 2013;
12. S.O. 562 (E) dated the 26th February, 2014;
13. S.O. 637 (E) dated the 28th February, 2014;
14. S.O. 1599 (E) dated the 25th June, 2014;
15. S.O. 2601 (E) dated the 7th October, 2014;
16. S.O. 2600 (E) dated the 9th October, 2014
17. S.O. 3252 (E) dated the 22nd December, 2014;
18. S.O. 382 (E) dated the 3rd February, 2015;
19. S.O. 811 (E) dated the 23rd March, 2015;
20. S.O. 996 (E) dated the 10th April, 2015;
21. S.O. 1142 (E) dated the 17th April, 2015;
22. S.O. 1141 (E) dated the 29th April, 2015;
23. S.O. 1834 (E) dated the 6th July, 2015;
24. S.O. 2571 (E) dated the 31st August, 2015;
25. S.O. 2572 (E) dated the 14th September, 2015;
26. S.O. 141 (E) dated the 15th January, 2016;
27. S.O. 648 (E) dated the 3rd March, 2016;
28. S.O. 2269(E) dated the 1st July, 2016;
29. S.O. 2944(E) dated the 14th September, 2016;
30. S.O. 3518 (E) dated 23rd November 2016;
31. S.O. 3999 (E) dated the 9th December, 2016;
32. S.O. 4241(E) dated the 30th December, 2016; and
33. S.O. 3611(E) dated the 25th July, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2018.11.15 19:19:46 +05'30'